# अनुदान संख्या 96 – दादरा और नागर हवेली
# GRANT No. 96–DADRA AND NAGAR HAVELI

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 918,14,00 | 934,46,00 | 934,42,56 | –3,44 |
| पूरक | Supplementary | 16,32,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | शून्य Nil |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 39,12,00 | 49,02,00 | 48,97,92 | –4,08 |
| पूरक | Supplementary | 9,90,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | शून्य Nil |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान के राजस्व भाग में, 9.50 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, पांच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 453.34 लाख रु. के अधिक व्यय की तुलना में तेरह मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 457.42 लाख रु. की बचतें हुईं जिसके परिणामस्वरूप 4.08 लाख रु. की कुल बचतें हुईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, provision of Rs.9.50 lakhs remained wholly unutilised under five heads.

2. In the capital section of the grant, savings of Rs.457.42 lakhs occurred under 13 major heads against excess of Rs.453.34 lakhs under 5 major heads resulting in overall savings of Rs.4.08 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | अधिक व्यय+<br>Excess+<br>बचत-<br>Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में)<br>(In lakhs of rupees) |
| **क - गृह मंत्रालय** | **A – Ministry of Home Affairs** | | | | |
| मुख्य शीर्ष ''4070'' | Major Head "4070" | | | | |
| अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Other Administrative Services | | | | |
| मू. | O. | 169.00 | 52.06 | 52.06 | . . |
| पु. | R. | –116.94 | | | |
| **ञ-उच्च शिक्षा विभाग** | **J-Department of Higher Education** | | | | |
| मुख्य शीर्ष ''4202'' | Major Head "4202" | | | | |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Education, Sports, Art and culture | | | | |
| मू. | O. | 151.00 | 129.50 | 129.49 | –0.01 |
| पू. | S. | 25.00 | | | |
| पु. | R. | –46.50 | | | |
| **थ-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** | Q-Ministry of Road Transport and Highways | | | | |
| मुख्य शीर्ष ''5054'' | Major Head "5054" | | | | |
| सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Roads and Bridges | | | | |
| मू. | O. | 1236.00 | 1476.51 | 1476.56 | +0.05 |
| पु. | R. | 240.51 | | | |

(I) 13.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''सामान्य शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा - भवन'' के अंतर्गत 105.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2008 में 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 130.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 8.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.13.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) Under Major Head "4202" – "General Education – Secondary Education – Buildings" – the original provision of Rs.105.00 lakhs was augmented to Rs.130.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs in March, 2008 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.8.00 lakhs – due to non-finalisation of tenders.

(III) मुख्य शीर्ष ''4070'' - ''अन्य व्यय - निर्माण'' के अंतर्गत 116.94 लाख रु. की बचत (169.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने, उच्च प्रस्तावों की वजह से निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और सौंपे गए कार्य को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 146.21 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 51 प्रतिशत और 85 प्रतिशत थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''जिला और अन्य सड़कें - अन्य व्यय - सड़कों और सेतुओं का निर्माण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 240.56 लाख रु. का अधिक व्यय (1236.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेतुओं एवं चार लेन की सड़कों का निर्माण किए जाने और मशीनरी और तारण नौकाओं की मरम्मत किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 97.91 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 39 प्रतिशत था।

(III) Under Major Head "4070" - "Other Expenditure - Construction" – saving of Rs.116.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.169.00 lakhs) was due to delay in obtaining approval from the competent authority, non-finalisation of tenders owing to high offers and non-completion of awarded work.

(IV) Under two heads savings of Rs.146.21 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 51 percent and 85 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "5054"- "District and Other Roads – Other Expenditure – Construction of Roads and Bridges"-excess of Rs.240.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1236.00 lakhs) was due to construction of bridge and four laning work of roads and repairs of machinery and ferry boats.

(II) Under one head excess of Rs.97.91 lakhs occurred constituting 39 percent of the sanctioned provision.